न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 72/2011 तारीख रजू:— 29.06.2011

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1. बुद्धाराम पुत्र खोखलिया जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन – मृतक

1/1. हरीराम	पिसरान बुद्धाराम जाति जाटव निवासी फुलवाडा
1/2. वीरसिंह	
1/3. कुंवरसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
1/4. शेरसिंह	
1/5. अंगूरी	पुत्रियॉ बुद्धाराम जाति जाटव निवासी फुलवाडा
1/6. मेवा	
1/7. रामो	
1/8. केशपति	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
1/9. नीरी	
1/10. बबीता	

2. भगवानी पुत्री खोखलिया	जाति जाटव निवासी फुलवाडा
3. रामखिलाडी पुत्र मंगल	तहसील हिण्डौन जिला करौली

4. भगवानसिंह पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन– मृतक

4/1. प्रेमराज	पिसरान भगवानसिंह जाति जाटव निवासी फुलवाडा
4/2. हेमसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली
4/3. राजकुमारी	पुत्रियॉ भगवानसिंह जाति जाटव निवासी फुलवाडा
4/4. कृष्णा	तहसील हिण्डौन जिला करौली

4/5. जीतू पुत्र भगवानसिंह जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

5. कमला पुत्री मंगल जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

6. सम्पति बेबा मंगल जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन –मृतक

7. चौथी पुत्र दम्मा	जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन
8. रामसिंह पुत्र पतराम	जिला करौली राजस्थान
9. हरीसिंह पुत्र पतराम	
10. रूगदास पुत्र हट्टी	

11. अशरफी बेबा हट्टो जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन – मृतक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

12. गिर्राज पुत्र गणेशी जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन – मृतक

12/1. दयाराम उर्फ दल्ली 12/2. रतीराम 12/3. हरिसिंह 12/4. बबलू	पिसरान गिर्राज जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली
12/5. कमलेश 12/6. रूपो 12/7. रामबाई	पुत्रियाँ गिर्राज जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली
13. बाबूलाल पुत्र गणेशी 14. संजय पुत्र लालसिंह 15. महेन्द्र पुत्र लालसिंह	जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
16. हेमा पुत्री लालसिंह 17. सपना पुत्री लालसिंह	नावालिग जरिये माता खुद रामा बेबा लालसिंह जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली
18. रामा बेबा लालसिंह 19. भूरसिंह पुत्र खिल्ली 20. नरेश पुत्र खिल्ली 21. नाहरसिंह पुत्र खिल्ली 22. रामगोपाल पुत्र चरण 23. देवेन्द्र पुत्र चरण 24. किस्तूरी बेबा चरण 25. मुकेशी पुत्री चरण 26. सोहनलाल पुत्र पून्या 27. रामसिंह पुत्र नथुआ 28. रूपसिंह पुत्र नथुआ 29. टीकाराम पुत्र सुग्रीव 30. रेखा पुत्री सुग्रीव	जाति जाटव निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— सायलान

बनाम

1. श्री गोपाल गौशाला संस्था, फुलवाडा, जरिये अध्यक्ष हीरालाल अटपटा जाति महाजन निवासी दांतरा पाडा हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन ———— गैरसायलान

2.

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट सायलान

2. श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट गैरसायल सं.1

निर्णय

दिनांक :—29.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायल के मूल वाद के प्रतिवादी नं0 2, 3 के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा माननीय अदालत में पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1364 रकबा 125 ऐयर, 1365 रकबा 11 ऐयर, 1366 रकबा 10 ऐयर, 1367 रकबा 16 ऐयर, 1368 रकबा 13 ऐयर, 1369 रकबा 23 ऐयर कुल किता 6 कुल रकबा 98 ऐयर वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 1322 रकबा 33 ऐयर, 1323 रकबा 129 ऐयर, 1324 रकबा 21 ऐयर, 1325 रकबा 16 ऐयर, 1326 रकबा 32 ऐयर, 1327 रकबा 23 ऐयर, 1328 रकबा 24 ऐयर, 1329 रकबा 43 ऐयर, 1330 रकबा 30 ऐयर, 1331 रकबा 36 ऐयर, 1332 रकबा 27 ऐयर, 1333 रकबा 28 ऐयर, 1334 रकबा 56 ऐयर, 1335 रकबा 31 ऐयर, 1336 रकबा 27 ऐयर, 1337 रकबा 37 ऐयर, 1338 रकबा 33 ऐयर, 1339 रकबा 28 ऐयर, 1340 रकबा 29 ऐयर, 1341 रकबा 34 ऐयर, 1342 रकबा 33 ऐयर, 1443 रकबा 31 ऐयर, 1344 रकबा 21 ऐयर, 1345 रकबा 74 ऐयर, 1346 रकबा 1 ऐयर, 1347 रकबा 80 ऐयर, 1348 रकबा 13 ऐयर, 1349 रकबा 36 ऐयर, 1350 रकबा 8 ऐयर, 1351 रकबा 8 ऐयर, 1352 रकबा 8 ऐयर, 1353 रकबा 8 ऐयर, 1354 रकबा 19 ऐयर, 1356 रकबा 27 ऐयर, 1357 रकबा 27 ऐयर, 1358 रकबा 33 ऐयर, 1359 रकबा 14 ऐयर, 1360 रकबा 16 ऐयर, 1361 रकबा 89 ऐयर, 1362 रकबा 29 ऐयर, 1363 रकबा 44 ऐयर, 1370 रकबा 27 ऐयर, 1371 रकबा 39 ऐयर, 1372 रकबा 43 ऐयर, 1373 रकबा 29 ऐयर, 1374 रकबा 25 ऐयर, 1375 रकबा 37 ऐयर, कुल किता 47 कुल रकबा 14.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1355 रकबा 16 ऐयर, वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजी साविक खसरा नम्बर 583 का नवीन खसरा नम्बर 1355 है, जो कि सायलान की कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिसको सायलान 30 साल से अधिक समय से लगातार जोते बोते चले आ रहे हैं, तथा आज दिन भी सायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा नक्शा ट्रेस में भी उक्त खसरा नम्बर 1355 सायलान की हदबंदी में आती है, उक्त भूमि साविक ख0नं0 583 जिसका नवीन खसरा नम्बर 1355 रकबा 16 ऐयर है, जो सायलान के नक्शा ट्रेस में आती है, जिसको सायलान ही काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सेटिलमेंट आपरेशन में उक्त आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 16 ऐयर, को गैरसालय श्री गोपाल गोशाला फुलवाडा के नाम से कतई गलत दर्ज कर दिया है, जो कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गयी गलती है, जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं. 1 के नाम गलत खातेदारी आ जाने से गैरसायल नं. 1 बेजा फायदा उठाते हुए सायलान को जबरन बेदखल करने पर आमदा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सायलान उक्त आराजीयात को निरन्तर बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि सायलान ने गत फसल में गेहूं सरसों काश्त की थी, जिसको सायलान ने ही दरोह किया है, तथा आगामी फसल के लिए बाजरा बोने की तैयारी में है। इस प्रकार सायलान का प्राईमफेसी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि सायलान ने तहसीलदारजी हिण्डौन से कई बार निवेदन किया कि उक्त गलत खातेदारी के इन्द्राज को सही करते हुए सायलान के नाम खातेदारी करदे, लेकिन तहसीलदारजी ने सक्षम न्यायालय में से आदेश लाने को कहा। सायलान का लोंग टर्मपजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं. 1 की नीयत में बदयांति है, और वह उसके नाम खातेदारी आ जाने का नाजायज फायदा उठाकर सायलान को जबरन बेदखल करने पर आमदा है। जिसका उसको कोई किसी प्रकार का हक नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 17.06.2011 को समय करीब सुबह 7 बजे की है कि सायलान अपनी उक्त आराजी की साल संभाल कर रहे थे कि इतने में ही गैनरसायल का अध्यक्ष मौके पर आ गया और आते ही कहा कि तुम लोगो ने इसे बहुत बो लिया है, अब तुम इन जमीनों को भूल जाओ अब हम काश्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

करेंगे, इस पर सायलान ने कहा कि आपके नाम गलत खातेदारी आ गयी है, इसे तहसील चलकर सही करवा लो तो वे टालमटोल होकर स्पष्ट इंकार कर दिया। इसके बाद तहसीलदार से मिला और खातेदारी व रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती के लिये कहा तो सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी0आई0 पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि पाबंद नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायल के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 16 एयर साबिक खसरा नम्बर 583 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। गैरसायल सं01 किसी भी प्रकिया से सायलान को जबरन बेदखल ना करें गैरसायल सं01 ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे हकूक सायलान व उक्त भूमि को कोई क्षति पहुँचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में गलत दावा पेश होना स्वीकार है। सायल को कामयाबी कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 वावजह लाइल्मी स्वीकार है। इसमें दर्ज आराजीयात के तथ्य सायलान को साबित करने है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है। दर. के मद नम्बर 2 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1355 रकवा 16 ऐयर बाके ग्राम फुलवाडा गैरसायल श्रीगोपाल गौशाला संस्था आदर्श गौशाला हिण्डौन के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है जिनका रखरखाव तथा प्रबन्ध प्रबनधकारिणी कमेटी द्वारा किया जाता है। यह संस्था पंजीयक(रजिस्ट्रार) गौशाला में राज0 जयपुर तथा रजिस्ट्रार संस्था सवाईमाधोपुर के तहत रजिस्टर्ड संस्था है जिसका वर्तमान में अध्यक्ष श्री सावंतसिंह एडवोकेट हिण्डौन है तथा मंत्री हीरालाल अटपटा है। सायलान ने हीरालाल अटपटा को अध्यक्ष कतई गलत दर्ज किया है। श्री हीरालाल अटपटा तो संस्था के मंत्री है इसलिए सायलान ने संस्था के अध्यक्ष के विरूद्ध दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दायर नहीं किया है इसी कानूनी बिन्दु पर दावा एवं दर0 हाजा खारिज होने योग्य है। खसरा नम्बर 1355 रकवा 16 ऐयर को श्रीगोपाल गौशाला के प्रबन्धकों ने चारों तरफ से डोलमेढ से महदूद कर रखा है जिसमें हर साल गौशाला कमेटी द्वारा कब्जा काश्त की व्यवस्था की जाती है। खसरा नम्बर 1355 के किसी भी भाग से सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। खसरा नम्बर 1355 की भूमि पर कभी भी सायलान का कब्जा काश्त नहीं रहा। सायलान ने श्रीगोपाल गौशाला की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की बदनियती से दावा एवं दरख्वास्त हाजा गलत तथा खिलाफ कानून पेश किया है जो हर सूरत में खारिज होने योग्य है। सायलान को रिकॉर्डेड खातेदार श्रीगोपाल गौशाला के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार हैं सायलान का यह कथन कतई गलत है कि सायलान खसरा नम्बर 1355 की भूमि को विगत 30 साल से काश्त करते चले आ रहे है बल्कि सही स्थिति यह कि विवादित भूमि साविक खसरा नम्बर 586 हाल खसरा नम्बर 1355 हमेशा से श्रीगोपाल गौशाला हिण्डौन के कब्जा काश्त की भूमि रही है जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तथा खसरा गिरदावरी श्रीगोपाल गौशाला के हक में है। इस भूमि को गौशाला की प्रबन्धकारिणी कमेटी ने लाखों रूपये खर्च कर काबिज काश्त बनाकर काफी सुधार किए है जो चारों तरफ से डौलमेढ से महदूद है। हर साल गौशाला की प्रबन्धकारिणी कमेटी वैधानिक रूप से काश्त करती है जिसकी आमदनी तथा फसल गायों की चराई पिलाई के काम आती है। गौशाला कस्बा हिण्डौन में जलसेन तालाब के पास स्थित है जिसमें हमेशा 250 गाये हमेशा रहती है जिनकी व्यवस्था रख रखाव गौशाला की रजि. संस्था की प्रबन्धकारिणी कमेटी करती है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1355 के किसी भाग से सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। खसरा नम्बर 1355 में इस साल फसल आसाढ संवत 2068 में गौशाला कमेटी ने बाजरा तिल काश्त किया है जो सरसब्ज हालत में है। श्रीगोपाल गौशाला कमेटी के प्रबन्ध तथा निर्देशन में है। विवादित भूमि सायलान की किसी भूमि के नक्शा ट्रेस में नहीं आती है। बल्कि अलग से राजस्व ट्रेस में डौलमेढ से महदूद है। इस प्रकार दरख्वास्त के मद नम्बर 4 के तथ्य कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड राजस्व अधिकारीगण तथा भू–प्रबन्ध अधिकारीगण ने मौके के अनुसार तथा साविक रिकॉर्ड के अनुसार सही दर्ज किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है। राजस्व अधिकारीगण तथा बदोवस्त अधिकारीगण द्वारा तैयार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तथा खसरा गिरदावरी व नक्शा ट्रेस सही है इसे निरस्त कराने का कोई अधिकार सायलान को नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादित भूमि पर सायलान का कभी भी मालिकाना हक तथा कब्जा नहीं रहा है नाही इस समय सायलान का कब्जा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 गलत होने के कारण अस्वीकार है। इसका मुकम्मिल जवाब, जाबाव दरख्वास्त के पूर्व के मदों में स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 9 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायल का लोग टर्म पजेशन नहीं है। विवादित खसरा नम्बर 1355 पर गैरसायल श्रीगोपाल गौशाला, हिण्डौन का कब्जा काश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 10 गलत होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल की नियत में कोई बदयान्ति नहीं है बल्कि सायलान की नियत में बदयान्ति है। सायलान ने गलत प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.11 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 11 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 17.06.2011 को या कभी भी कोई धमकी गौशाला कमेटी के किसी भी कर्मचारी ने सायलान को किसी प्रकार की नहीं दी। सायलान ने गैरसायल के विरूद्ध गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो हर मायने खारिज किए जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.12 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 12 गलत है स्वीकार नहीं है। सायलान को कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है। सायलान के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन भी सिद्ध नहीं है। रिकोर्डेड टीनेन्ट के खिलाफ सायलान कोई रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है। सायलान ने गलत तथ्य दर्ज कर प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.13 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1355 श्रीगोपाल गौशाला, हिण्डौन के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है इसलिए सायलान को रिकार्डेड खातेदार श्रीगोपाल गौशाला हिण्डौन के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं.14 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1355 के किसी भी भाग पर सायलान का कब्जा नहीं है इसलिए कब्जा के अभाव में दर. हाजा खारिज होने योग्य है। चलने योग्य नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2038– 41, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2065–68 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति प्रपत्र संख्या–7 राजस्थान गोशाला अधिनियम 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम–6) पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण पत्र कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाऐं राजस्थान जयपुर के द्वारा पंजीयन कमांक 232/2000 दिनांक 28.06.2000 को गोपाल गौशाला हिण्डौन सिटी जिला करौली के सम्बन्ध में श्री हीरालाल अटपटा, अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी), फोटो प्रति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक 30/सवाईमाधोपुर/96–97 गौपाल गौशाला समिति हिण्डौन दिनांक 23.08.1996 को जारी, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2034–37, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायल ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2038 – 41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 583 रकबा 55 बीघा 9 बिस्वा, 584 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंगल पुत्र दीपा पून्या पुत्र चुन्नी मूलचन्द पुत्र मटरे जाति चमार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2065–68 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं0 1355 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्रीगोपाल गौशाला संस्था हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2065—68 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1364 रकबा 125 ऐयर, 1365 रकबा 11 ऐयर, 1366 रकबा 10 ऐयर, 1367 रकबा 16 ऐयर, 1368 रकबा 13 ऐयर, 1369 रकबा 23 ऐयर कुल किता 6 कुल रकबा 98 ऐयर वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी बुद्धिराम पुत्र खोखलिया भगवानी पुत्र खोखलिया हि0 1/14, सुग्रीव पुत्र दौजी हि0 1/14, मंगल चौथी पि0 दम्मा हि0 1/7, रामसिंह पुत्र पतराम हि0 1/14, हरिराम पुत्र पतराम हि0 1/14, रूपदास पुत्र हट्टी व अशरफी बेबा हट्टी हि0 1/7, गिर्राज बाबूलाल पि0 गणेशी हि0 1/7, लालसिंह मूरसिंह नरेश नाहरसिंह पि0 खिल्ली पारो बेबा खिल्ली विमला सुगरो गीता शीला पुत्रियॉं खिल्ली हि0ब. हि0 1/14, रामगोपाल देवेन्द्र पि0 चरण किस्तूरी बेबा चरण मुकेशी पुत्री चरण हि0 1/14, सोहनलाल पुत्र पून्या हि0 1/14 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 668 —हकत्याग— 20.01.2009 से पारो बेबा खिल्ली विमला सुगरो गीता शीला पुत्रियॉं खिल्ली हि0 5/126 के बजाय मूरसिंह नरेश पि0 खिल्ली, नाहरसिंह पुत्र खिल्ली नावालिग संरक्षक पारो बेबा खिल्ली माता स्वंय हि0 5/126 के नाम स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 669 —विरासत — 20.01.2009 से लालसिंह पुत्र खिल्ली के बजाय संजय महेन्द्र पुत्र लालसिंह हेमा सपना पुत्रीयॉं लालसिंह नावा. संरक्षक रामा बेबा लालसिंह हि0 1/126 के नाम स्वीकार हुआ , नोट नामान्तकरण सं0 675 —विरासत—20.03.2009 से मंगल हि0 1/14 के बजाय रामखिलाडी भगवानसिंह पुत्र मंगल कमला पुत्री मंगल सम्पति पत्नि मंगल हि0 1/14 के नाम स्वीकार हुआ, नोट नामान्तकरण सं0 674—विरासत—20.03.2009 से सुग्रीव पुत्र दौजी हि0 1/14 के बजाय टीकाराम पुत्र सुग्रीव रेखा पुत्री सुग्रीव के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2065—68 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1322 रकबा 33 ऐयर, 1323 रकबा 129 ऐयर, 1324 रकबा 21 ऐयर, 1325 रकबा 16 ऐयर, 1326 रकबा 32 ऐयर, 1327 रकबा 23 ऐयर, 1328 रकबा 24 ऐयर, 1329 रकबा 43 ऐयर, 1330 रकबा 30 ऐयर, 1331 रकबा 36 ऐयर, 1332 रकबा 27 ऐयर, 1333 रकबा 28 ऐयर, 1334 रकबा 56 ऐयर, 1335 रकबा 31 ऐयर, 1336 रकबा 27 ऐयर, 1337 रकबा 37 ऐयर, 1338 रकबा 33 ऐयर, 1339 रकबा 28 ऐयर, 1340 रकबा 29 ऐयर, 1341 रकबा 34 ऐयर, 1342 रकबा 33 ऐयर, 1443 रकबा 31 ऐयर, 1344 रकबा 21 ऐयर, 1345 रकबा 74 ऐयर, 1346 रकबा 1 ऐयर, 1347 रकबा 80 ऐयर, 1348 रकबा 13 ऐयर, 1349 रकबा 36 ऐयर, 1350 रकबा 8 ऐयर, 1351 रकबा 8 ऐयर, 1352 रकबा 8 ऐयर, 1353 रकबा 8 ऐयर, 1354 रकबा 19 ऐयर, 1356 रकबा 27 ऐयर, 1357 रकबा 27 ऐयर, 1358 रकबा 33 ऐयर, 1359 रकबा 14 ऐयर, 1360 रकबा 16 ऐयर, 1361 रकबा 89 ऐयर, 1362 रकबा 29 ऐयर, 1363 रकबा 44 ऐयर, 1370 रकबा 27 ऐयर, 1371 रकबा 39 ऐयर, 1372

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 43 ऐयर, 1373 रकबा 29 ऐयर, 1374 रकबा 25 ऐयर, 1375 रकबा 37 ऐयर, कुल किता 47 कुल रकबा 14.32 हैक्टेयर वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी बुद्धिराम पुत्र खोखलिया भगवानी पुत्र खोखलिया हि0 1/14, सुग्रीव पुत्र दौजी हि0 1/14, मंगल पुत्र दम्मा हि0 1/14, चौथी पुत्र दम्मा हि0 1/14, रामस्वरूप पुत्र पतराम हि0 1/14, हरिराम पुत्र पतराम हि0 1/14, रूपदास पुत्र हट्टी व अशरफी बेबा हट्टी हि0 1/7, गिर्राज बाबूलाल पि0 गणेशी हि0 1/7, लालसिंह भूरसिंह नरेश नाहरसिंह पि0 खिल्ली पारो बेबा खिल्ली विमला सुगरो गीता शीला पुत्रियॉ खिल्ली हि0ब. हि0 1/14, रामगोपाल देवेन्द्र पि0 चरण किस्तूरी बेबा चरण मुकेशी पुत्री चरण हि0 1/14, हरिराम पुत्र बुद्धिराम रूपदास पुत्र हट्टी हि0ब0हि0 1/14 विला रहन, रामसिंह रूपसिंह पि0 नथुवा हि0ब0 हि0 1/14 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 674–विरासत–20.03.2009 से सुग्रीव पुत्र दौजी हि0 1/14 के बजाय टीकाराम पुत्र सुग्रीव रेखा पुत्री सुग्रीव के नाम स्वीकार हुआ, नोट नामान्तकरण सं0 668 –हकत्याग– 20.01.2009 से पारो बेबा खिल्ली विमला सुगरो गीता शीला पुत्रियॉ खिल्ली हि0 5/126 के बजाय भूरसिंह नरेश पि0 खिल्ली, नाहरसिंह पुत्र खिल्ली नावालिग संरक्षक पारो बेबा खिल्ली माता स्वंय हि0 5/126 के नाम स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 669 –विरासत – 20.01.2009 से लालसिंह पुत्र खिल्ली के बजाय संजय महेन्द्र पुत्र लालसिंह हेमा सपना पुत्रीयॉ लालसिंह नावा. संरक्षक रामा बेबा लालसिंह हि0 1/126 के नाम स्वीकार हुआ , नोट नामान्तकरण सं0 675 –विरासत–20.03.2009 से मंगल हि0 1/14 के बजाय रामखिलाडी भगवानसिंह पुत्र मंगल कमला पुत्री मंगल सम्पति पत्नि मंगल हि0 1/14 के नाम स्वीकार हुआ, दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति प्रपत्र संख्या–7 राजस्थान गोशाला अधिनियम 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम–6) पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण पत्र कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार) गोशालाऐं राजस्थान जयपुर के द्वारा पंजीयन कमांक 232/2000 दिनांक 28.06.2000 को गोपाल गौशाला हिण्डौन सिटी जिला करौली के सम्बन्ध में श्री हीरालाल अटपटा, अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) के हक में जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक 30/सवाईमाधोपुर/96–97 गौपाल गौशाला समिति हिण्डौन दिनांक 23.08.1996 को जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66 के अनुसार ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन के साबिक खसरा नम्बर 586 मिन से दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.16 है0 कायम किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2034—37 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 586 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्री गोपाल गौशाला संस्था हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में श्रीगोपाल गौशाला संस्था हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है। साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि हाल खसरा नम्बर 1355, साबिक खसरा नम्बर 583 का भाग हो। ऐसी स्थिति में यदि उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी गई तो पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद एवं मुकदमें बाजी बढने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम फुलवाडा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 29/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली